


107



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

श्री क. क. द्विवेदी, कर्म
द्वारा आज दि. 6.9.12 को
प्रस्तुत

क
6.9.12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R. 3299-II/12

- 1 प्रदीप पिता राम प्रसाद गुप्ता
- 2 दिलीप पिता रामप्रसाद गुप्ता
निवासीगण ग्राम मानपुर थाना मानपुर, तहसील
मानपुर जिला उमरिया (म0प्र0)

----- पुनरीक्षणकर्ताकर्ता
विरुद्ध

1. विनोद कुमार पिता श्याम लाल गुप्ता
2. शंकर लाल पिता श्याम लाल फौत वारिस पुत्र
(अ) आकाश देव
(ब) गोपालदास
(स) कुमारी सीतल सभी नाबालिग जरिये बली
शिव प्रसाद पिता श्याम लाल गुप्ता निवासी
मानपुर, थाना मानपुर तहसील मानपुर, जिला
उमरिया (म0प्र0)

----- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण विरुद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मानपुर,
जिला उमरिया म0प्र0 के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 41/अपील/
2008-09 आदेश दिनांक 27.07.2012 पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भूरा0सं0

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता/ उत्तरार्थीगणों की ओर से पुनरीक्षण पेश किया जाकर
विनय है कि :-

- 1- यहकि, पुनरीक्षणकर्ता/ उत्तरवादीगणों के नाम पर ग्राम मानपुर,
तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 में स्थित भूमि आराजी खसरा
नम्बर 1763/2, 1343/1, 1345, 1346, 1353, 2031/1 कुल 5
किता कुल रकवा 7.192 है0 भूमि का वसीयत नामा श्री श्यामलाल
गुप्ता द्वारा अपने जीवन काल में लिखाया जाकर उपपंजीयक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 3299-दो/2012

जिला उमरिया

प्रदीप आदि

विरुद्ध

विनोद कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 41/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला उमरिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला उमरिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right">  (आर0के0 जैन) 8/02/2019 सदस्य </p>	